संख्या–86/2017/594/69–1–2017–14(13)/2017

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2017

विषयः बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत मूल आवासों में अभ्यपर्ण के फलस्वरूप केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5311/04–अ/76/एक/2016–17 दिनांक 15.02.17 एवं पत्र संख्या–179/32/76/एक/2016–17 दिनांक 24.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद–आगरा की 02 परियोजनाओं एवं जनपद–लखनऊ की 04 परियोजनाओं के मूल आवासों में अभ्यपर्ण के फलस्वरूप अतिरिक्त केन्द्रांश की धनराशि **रू0 4929.56 लाख (रूपये उनचास करोड़ उन्तीस लाख छप्पन हजार मात्र)** आहरित कर भारत सरकार को वापस किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	मूल आवासों की संख्या/अभ्यर्पण के पश्चात आवासों की संख्या।	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई केन्द्रीय अनुदान की धनराशि जिसे राज्य सरकार द्वारा क्लेम नहीं किया गया है।	कालम सं0–05 में अंकित केन्द्रांश से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्रों का विवरण
1.	आगरा	बी0एस0यू0पी0	3640	1486.81	संख्या–59(4) PF-1/2013-1775 दिनांक 28.03.2014
2	तदैव	तदैव	1360	615.92	तदैव
3.	लखनऊ	तदैव	1632 अतिरिक्त अवस्थापना	270.20	तदैव
4.	तदैव	तदैव	1632/1488	210.28	संख्या–59(4) PF-1/2013-1407 दिनांक 29.01.2014
5.	तदैव	तदैव	8896/2432	2054.71	संख्या–59(4) PF-1/2012-1091 दिनांक 19.12.12
6.	तदैव	तदैव	487/364	291.64	संख्या–59(4) PF-1/2011-1150 दिनांक 19.12.11
		योग		4929.56	

2. उक्त धनराशि निदेशक, सूडा द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को वापस की जायेगी।

3. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखाशीर्षक **''1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान–04–केन्द्र द्वारा समर्पित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान–900–घटायें वापसियाँ–01–वापसियाँ''** के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–ई–8–760/दस–2017, दिनांक 22 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–86/2017/594(1)/69–1–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. संयुक्त निदेशक (पी0एफ0–I), मिनिस्ट्री आफ फाईनेन्स, डिपार्टमेण्ट आफ एक्सपेन्डीचर प्लान फाईनेन्स–I, डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता), उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
7. सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।